[2008] 6 एस.सी.आर. 106

उप राज्यपाल एवं अन्य

बनाम

शिवचन्दर मोरे एवं अन्य

(सिविल अपील नंबर 5091/2004)

दिनांक 09 अप्रैल 2008

(डाॅ. अरिजीत पसायत, पी. सथासिवम एवं अफताब आलम, जे.जे.)

प्रशासनिक विधिः

अनुज्ञप्ति का अनुदान/नवीनीकरण-प्राधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रतन कौर बनाम भारतसंघ में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय नवीनीकरण के लिए अनुमति प्रदान नहीं की, जो चुनौती दिए जाने पर न्यायालय की एकलपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त् आदेश निर्णय में लागू होता है, हालांकि अनुतोष प्रदान किया। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि रतन कौर के मामले में निर्णय मामले के तथ्यों परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के पास यह विकल्प नहीं था कि वह समर्थन में कोई कारण बताए बिना

एक पृथक दृष्टिकोण अपनाए-इसके लिए प्राधिकारी ने अनुज्ञप्ति के अनुदान/नवीनीकरण से इंकार कर सही किया।

इस अपील के अभिनिर्धारण हेतु प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या उप राज्यपाल द्वारा इस न्यायालय के रतन कौर बनाम भारतसंघ में प्रदत्त निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी को अनुज्ञा पत्र जारी करने/नवीनीकरण करने से सही इंकार किया गया था।

अपील को स्वीकार करने हेतु न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उप राज्यपाल ने इस न्यायालय के रतन कौर बनाम भारतसंघ में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान नहीं किए जाने हेतु ठीक आदेश पारित किया। एक बार विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि निर्णय लागू था तो किसी भी विशिष्ट विशेषता को इंगित किए बिना एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए खण्डपीठ के पास विकल्प नहीं था।

रतन कौर बनाम भारत संघ (1997) 10 एस.सी.सी. 61 निर्दिष्ट-

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नंबर 5091/2004

अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.02.2002, कलकत्ता उच्च न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच, एम.ए.टी. 2001 की संख्या 28

साथ

सिविल अपील नंबर 5092/2004

टी.एस. डोबिया, वरूणा भण्डारी गुगनानी, ए. तारिक एवं डी.एस. महरा, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

विजय हंसारिया, स्नेह कलिता, परमानन्द, राजीव तलवार एवं सुषमा सूरी, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

डाॅ. अरिजीत पसायत, जे.

सिविल अपील नंबर 5091/2004

01. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

02. हम उच्च न्यायालय (विद्वान एकल न्यायाधीश तथा खण्डपीठ) के दृष्टिकोण को गलत पाते हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि शिवचंदर मोरे द्वारा दिनांक 05.05.2000 को दिया गया प्रतिनिधित्व लाईसेंस के नए अनुदान के लिए था। उप राज्यपाल ने पाया तथा हमारे विचार से, यह सही है कि रतनकौर बनाम भारत संघ (1997(10) एस.सी.सी. 61) में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए दूसरा नवीनीकरण स्वीकार्य नहीं था। आदेश को विद्वान एकल

न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गयी, आश्चर्यजनक रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि निर्णय लागू था, परन्तु फिर भी प्रत्यर्थी को राहत दे दी। मामले को उप राज्यपाल, उपायुक्त तथा तहसीलदार द्वारा खण्डपीठ के समक्ष अपील में ले जाया गया। विशेष रूप से, खण्डपीठ ने पाया कि रतनकौर के मामले (सुप्रा) में निर्णय मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। एक बार विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि निर्णय लागू था, तो किसी भी विशिष्ट विशेषता को इंगित किए बिना एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए खण्डपीठ के समक्ष विकल्प नहीं था। हालांकि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 04 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया ने कहा कि प्रतिनिधित्व मामलों की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है, और वास्तव में जिस बात पर आपत्ति हो रही थी, वह बेदखली की कार्यवाही थी। उस मामले को कभी भी उप राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, और जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, प्रार्थना नवीनीकरण हेतु थी, इसलिए उप राज्यपाल का आदेश विधिक एवं उचित था एवं उच्च न्यायालय को उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना था। यदि प्रत्यर्थी के पास कोई उपचार है, जैसा कि दावा किया गया है, नए अनुदान और/या नवीनीकरण की मांग के अतिरिक्त, वह उप राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व में विचार हेतु नहीं आया। हम

उस संबंध में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करते, जो उप राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के समक्ष अभ्यावेदन विचार हेतु नहीं आया।

03. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय कुमार बिश्नोई (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।